



F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 895 का नवीकरण/Renewal of Type Approval No. 895

विषय/Sub: कार्ट्रिज सीट इजेक्शन प्राइमरी और सेकंडरी / Cartridge Seat Ejection Primary and Secondary

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स ए आर डी ई, पाषाण पुणे - 411 021 द्वारा अभिकल्पित, विकसित और प्रारंभ में उत्पादित और वर्तमान में मेसर्स अम्युनिशन फैक्टरी, किर्की, पुणे - 411 003 द्वारा उत्पादित कार्ट्रिज सीट इजेक्शन प्राइमरी और सेकंडरी को संदर्भ सं. सेमिलेक/ 5070/टीए-895, दिनांक 28 फरवरी 2001, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 895 जारी किया गया था तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलेक/ 5070/टीए-895/1आर द्वारा दिनांक 29 मार्च 2006 को नवीकरण किया गया था जो कि 31 दिसंबर 2008 तक वैध था।

This is to state that the Cartridge Seat Ejection Primary (Sec Ref No. 312K/33) and Secondary (Section Ref. No. 312K/32) designed, developed & initially manufactured by A.R.D.E, Pashan, Pune - 411 021 and presently manufactured by Ammunition Factory, Kirkee, Pune - 411 003 has been issued with Type Approval No. 895 vide ref. No. CEMILAC/5070/TA-895, dated: 28th Feb 2001 and subsequently renewed on 29th Mar 2006 Vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA-895/1R, and was valid up to 31st Dec 2008.


2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 नवंबर 2013 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2018 तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए(एए), पाषाण, पुणे - 411 021, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f 1st Nov 2013 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st Dec 2018 unless otherwise, suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (A/A), Pashan, Pune - 411 021, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause. All other terms & conditions stipulated in the Type Approval letter remain unaltered.

सं./No. : सेमिलेक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 895-2R

दिनांक/Date : 09 Dec 2013

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856


(डॉ.के.तमिलमणि/ Dr. K.TAMILMANI)
महा निदेशक (एरो)/ Director General (Aero)
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)